



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264667
CG-DL-E-15072025-264667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 421]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

पत्तन, जलयान परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 464(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और आशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2025, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, का मसौदा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन आधिकारिक राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, जलयान परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dircoord2-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम प्रारंभ.- (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और आशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "परिवर्तन या आशोधन" से ऐसे परिवर्तन या आशोधन अभिप्रेत हैं जो किसी भी यांत्रिक रूप से चालित किसी भी अंतर्देशीय जलयान की क्षमता, स्थिरता और सुरक्षा या प्रमाणन स्थिति या जलरोधी क्षमता

या उसके प्रकार या प्राथमिक कार्य में परिवर्तन या केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य मानदंडों को प्रभावित करे।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियमों में परिभाषित नहीं हैं परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन। - (1) कोई भी परिवर्तन या आशोधन करने के इच्छुक जलयान मालिक या संचालक, यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के प्ररूप 6 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का स्वरूप और दायरा निर्दिष्ट होगा।

(2) उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन की समीक्षा करेगा ताकि जलयान की सुरक्षा, क्षमता, स्थिरता और संरचनात्मक सुदृढ़ता पर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके।

(3) सभी परिवर्तन और आशोधनों को अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 में यथा संशोधित सुरक्षा मानकों और जलयान के डिजाइन या वर्गीकरण में उल्लिखित किसी भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा।

(4) ऐसे मामलों में, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार जलयान मालिक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन(ओं) या आशोधन(ओं) के तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के लिए यथा लागू नौसेना वास्तुकार या समुद्री इंजीनियर या सर्वेक्षक या वर्गीकरण सोसायटी के माध्यम से आंतरिक रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन का आदेश दिया जा सकता है।

(5) यदि कोई परिवर्तन या आशोधन किया जाता है जो जलयान सुरक्षा, पर्यावरण या किसी अन्य हितधारकों को प्रभावित कर सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी जलयान का पूरी तरह सुरक्षा मूल्यांकन करवाने का आदेश देगा। जैसा आवश्यक पाया जाए, उपशमन उपायों को प्रस्तावित और कार्यान्वित किया जाएगा।

(6) जलयान मालिक या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सत्यापन के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी जलयान मालिक या प्रचालक को पूर्व अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। मालिक को जलयान पर हर समय पूर्व अनुमोदन का प्रमाण पत्र रखना होगा।

4. प्रमुख परिवर्तन और आशोधन - मौजूदा जलयानों में प्रमुख परिवर्तन आम तौर पर ऐसे मामले माने जाएंगे जिनसे:

(क) जलयान के परिमाण या क्षमता में काफी परिवर्तन होता हो;

(ख) जलयान के प्रकार या प्राथमिक कार्य में परिवर्तन होता हो;

(ग) जलयान के सेवा काल में काफी वृद्धि होती हो;

(घ) उप-विभाजन काफी प्रभावित होता हो; और

(ङ) जलरोधी और मौसमरोधी सुदृढ़ता काफी प्रभावित होती हो।

5. **छोटे-मोटे परिवर्तन।** - (1) छोटे- मोटे परिवर्तनों की ऐसे परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनसे जलयान की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं होते हो, लेकिन जिनसे संरचनात्मक सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ सकता है।

(2) छोटे-मोटे परिवर्तनों को, परिवर्तन और आशोधन किए जाने के एक महीने के भीतर लिखित रूप में सर्वेक्षक या नामित प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

6. **अनुमोदन प्रदान करने संबंधी मानदंड** - जलयानों में सभी परिवर्तनों या आशोधनों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

(क) सुरक्षा और अनुपालन: कोई भी परिवर्तन या आशोधन यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार जलयान, चालक दल, यात्रियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(ख) संरचनात्मक सुदृढ़ता: संरचनात्मक परिवर्तनों को इस तरह से डिजाइन और निष्पादित किया जाना होगा जो जलयान की संरचनात्मक सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखे या बढ़ाए। संरचनात्मक गणना और मूल्यांकन, डिजाइनर द्वारा किए जाएं और सत्यापन और अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी (वर्गीकरण सोसायटी के तहत जलयानों के लिए), यथा लागू को प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) स्थिरता विश्लेषण: जलयान की स्थिरता को प्रभावित करने वाले आशोधनों के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी जैसा लागू हो, द्वारा सत्यापन के लिए, यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार स्थिरता विश्लेषण किया जाना होगा और जलयान को इसकी अनुमोदित स्थिरता सीमाओं के भीतर प्रचालित किया जाना होगा।

(घ) पर्यावरणीय प्रभाव: आशोधनों में जलयान के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किया जाएगा और उसे न्यूनतम किया जाएगा, विशेष रूप से यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2022 के अनुसार उत्सर्जन, अपशिष्ट निपटान और प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में।

7. **रिपोर्टिंग** - यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 28 के तहत सुदृढ़ता या स्थिरता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन या आशोधन के लिए सर्वेक्षण और पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

8. इन नियमों का पालन न करना विनियामक अनुपालन करना माना जा सकता है, इससे जलयान और चालक दल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इन मामलों में राज्य सरकार अधिनियम की धारा 87 के उपबंधों के अनुसार मालिक पर उचित दण्ड लगा सकती है।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-II-12011/4/2025-आईडब्ल्यूटी-II]

पी. के. राय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 464(E).— In the exercise of powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 8 read with clause (f) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the draft of the Inland Vessels (Prior Approval for Alteration and Modification) Rules, 2025, which the Central Government hereby proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021 (24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 545, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dircoord2-psw@gov.in and psw-usiwt2@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules, within the period specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. **Short Title Commencement.** – (1) These rules may be called the Inland Vessels (Prior Approval for Alteration and Modification) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);

(b) “alteration or modification” means alterations or modifications which would affect the strength, stability and safety or certification status or watertight integrity or change in type or primary function of any mechanically propelled inland vessel or other criteria as notified by the Central Government.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Prior approval of the Designated Authority.** – (1) Vessel owners or operators desirous of making any alteration or modification shall submit an application in Form 6 of Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) Rules, 2022, as amended, specifying the nature and scope of the proposed alteration or modification to the Designated Authority.

(2) Upon receiving the application, the Designated Authority shall review the proposed alteration or modification to assess their impact on vessel safety, strength, stability and structural integrity.

(3) All alterations and modifications must comply with Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended safety standards, and any specific requirements outlined in the vessel's design or classification.

(4) In cases, if deemed necessary by the Designated Authority, an independent evaluation may be ordered internally through a naval architect or marine engineer or surveyor or through classification society as applicable to assess the technical aspects of the proposed alteration(s) or modification(s) by the vessel owner as per Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended.

(5) In case an alteration or modification that may impact vessel safety, the environment, or any other stakeholders, the Designated Authority shall order the vessel to undergo a thorough safety assessment. Mitigation measures shall be proposed and implemented as would be found necessary.

(6) Upon verification of application submitted by the vessel owner or operator, the Designated Authority shall grant a certificate of prior approval to the vessel owner or operator. The owner shall maintain the certificate of prior approval onboard the vessel at all times.

4. **Major alterations and modification.** – Major alterations of existing vessels shall be generally considered to be instances which:

(a) substantially alter a vessel's dimensions or capacity;

(a) change a vessel's type or primary function;

(b) substantially increase a vessel's service life;

(c) substantially affect the sub-division; or

(d) substantially affect the watertight and weathertight integrity.

5. **Minor alterations.** – (1) Minor alterations are defined as those which do not involve significant changes to the structure of the vessel but which may have an impact on structural strength.

(2) Minor alterations should be brought to the attention of the Surveyor or the Designated Authority in writing within a month of the alterations and modifications.

6. **Criteria for Grant of Approval.** – All alterations or modifications to vessels must adhere to the following:

(a) **Safety and Compliance:** any alteration or modification shall ensure the safety of the vessel, crew, passengers and the environment as per Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended.

(b) **Structural Integrity:** structural alterations must be designed and executed in a way that maintains or enhances the vessel's structural integrity and stability. Structural calculations and assessments may be carried out by the designer and submitted to Designated Authority or Classification Society (for vessels under Classification Society), as applicable, for verification and approval.

(c) **Stability Analysis:** for modifications that affect the vessel's stability, a stability analysis must be conducted as per Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended, for verification by Designated Authority or Classification Society, as applicable, and the vessel must be operated within its approved stability limits.

(d) **Environmental Impact:** modifications shall consider and minimize the vessel's environmental impact, especially in terms of emissions, waste disposal and pollution prevention as per Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, as amended.

7. **Reporting.** – Under section 28 of the Act read with rule 9 of Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) Rules, 2022, as amended, any alteration or modification affecting strength or stability or safety shall obtain a revised certificate of survey and registration.

8. Failure to comply with these rules may result in regulatory non-compliance, endangerment of vessel and crew safety and State Government in these cases may impose appropriate penalty to owner as per provisions of section 87 of the Act.

[F. No. IWT-II-12011/4/2025-IWT-II]
P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)